जैव -विविधता एवं संरसक्षण Important Questions Class 11 Geography Book 1 Chapter 16 in Hindi

अतिलघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1. जैव विविधता क्या है ?

उत्तर: जैव विविधता दो शब्दों Bio (बायो) व Diversity (डाईवर्सिटी) के मेल से बना है "बायो' का अर्थ है- जैव तथा डाईवर्सिटी का अर्थ है-विविधता अर्थात किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या व उनकी विविधता को जैव विविधता कहते हैं।

प्रश्न 2. 'हॉट-स्पॉट किसे कहते हैं ?

उत्तर : जिन क्षेत्रों में प्रजातीय विविधता अधिक होती है उन्हें विविधता के हॉट-सपॉट कहा जाता है।

प्रश्न 3. भारत सरकार ने वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम तथा प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना कब पारित किया ?

उत्तर : 1972 में वन्य सुरक्षा अधिनियम तथा 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना पारित हुआ

प्रश्न 4. ब्राजील के रियो-डि-जनेरो में जैव विविधता सम्मेलन कब हुआ व कितने देशों ने इसमें भाग लिया ?

उत्तर: जैव विविधता सम्मेलन 1992 में हुआ तथा 155 देशों ने इसमें भाग लिया।

प्रश्न 5. विश्व की किसी एक संकटापन्न प्रजाति का नाम बताओ?

उत्तर : रेड पांडा

प्रश्न 6. भारत में दो पारिस्थितिक हॉट-स्पॉट कौन से हैं ?

उत्तर : पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट भारत के दो परिस्थितिक हॉट-स्पॉट है।

प्रश्न 7. पारितंत्रीय विविधता का परिसीमन करना कठीन होता है, क्यों?

उत्तर : पारितंत्रीय विविधता का परिसीमन करना मुश्किल व जटिल होता है क्योंकि परितंत्र की सीमाएँ निश्चित नही होती।

प्रश्न 8. इंदिरा गाँधी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है ?

उत्तर : अन्नामलाई पश्चिमी घाट में

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1. जैव विविधता को किन तीन स्तरों पर समझा जा सकता है।

उत्तर: जैव विविधता को निम्नलिखित तीन स्तरों पर समझा जा सकता है।

1. अनुवांशिक विविधता (Genetic Biodiversity):- अनुवांशिक जैव विविधता में किसी प्रजाति के जीवों का वर्णन किया जाता है। जीवन निर्माण के लिए जीन (Gene) एक मूलभूत इकाई है। किसी प्रजाति में जीव की विविधता ही अनुवांशिक जैव-विविधता है।

2. प्रजातीय विविधता (Species Biodiversity):- प्रजातीय विविधता किसी निर्धारित क्षेत्र में प्रजातियों की अनेक रूपता बताती है और प्रजातियों की संख्या से सम्बन्धित है। जिन क्षेत्रों में प्रजातीय विविधता अधिक होती है, उन्हे विविधता के हॉट-स्पॉट (HotSpots) कहते हैं।

3. पारितंत्रीय विविधता (Eco System Diversity):- पारितंत्रीय विविधता पारितंत्रो की संख्या तथा उनके वितरण से सम्बन्धित है। पारितंत्रीय प्रक्रियाएं, आवास तथा स्थानों की भिन्नता ही पारितंत्रीय विविधता बनाते हैं।

प्रश्न 2. आई यू सी एन द्वारा पौधों व जीवों की प्रजातियों को उनके संरक्षण के उद्देश्य से कौन से तीन वर्गों में विभाजित किया गया है।

उत्तर :

(1) संकटापन प्रजातियां (Endangered Species) :- इसमें वे सभी प्रजातियाँ सम्मिलित हैं, जिनके लुप्त हो जाने का खतरा है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजरवेशन ऑफ नेचर एण्ड नेचुरल रिसोर्सेज (आई यू सी एन) विश्व की सभी संकटापन्न प्रजातियाँ के बारे में रेड लिस्ट (Red List) के नाम से सूचना प्रकाशित करता है।

(2) सूभेद्य प्रजातियां (Vulnerable Species) :- इसमें वे सभी प्रजातियाँ सम्मिलित हैं, जिन्हें यदि संरक्षित नहीं, किया गया या उनके विलुप्त होने में सहयोगी कारक यदि जारी रहे तो निकट भविष्य में उनके विलुप्त होने का खतरा है। इनकी संख्या अत्याधिक कम होने के कारण, इनका जीवित रहना सुनिश्चित नहीं है।

(3) दुर्लभ प्रजातियां (Rare Species):- संसार में इन प्रजातियों की संख्या बहुत कम है। ये प्रजातियों कुछ ही स्थानों पर सीमित हैं या बड़े क्षेत्र में विरल रूप से बिखरी हैं।

प्रश्न 3. जैव विविधता के सम्मेलन में लिए गए संकल्पों में जैव-विविधता संरक्षण के कौन से उपाय सुझाए गए हैं किन्ही पांच का वर्णन करें ?

उत्तर:

(1) संकटापन्न प्रजातियों के संरक्षण के लिए प्रयास करने चाहिए।

(2) प्रजातियों को लुप्त होने से बचाने के लिए उचित योजनाएं व प्रबंधन अपेक्षित हैं।

(3) खाद्यानों की किस्में, चारे संबंधी पौधों की किस्में, इमारती लकडी के पेड़, पशुधन, जंतु व उनकी वन्य प्रजातियों की किस्मों को संरक्षित करना चाहिए।

https://www.evidyarthi.in/

(4) प्रत्येक देश को वन्य जीवों के आवास को चिन्हित कर उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहिए।

(5) प्रजातियों के पलने-बढ़ने तथा विकसित होने के स्थान सुरक्षित व संरक्षित होने चाहिए।

(6) वन्य जीवों व पौधों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, नियमों के अनुरूप हो।

प्रश्न4. जैव-विविधता के महत्व का आर्थिक परिस्थितियों तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वर्णन करें।

उत्तर :

(1) आर्थिक महत्व :- सभी मनुष्यों के लिए दैनिक जीवन में जैव विविधता एक महत्वपूर्ण संसाधन है। जैव-विविधता को संसाधनों के उन भंडारों के रूप में समझा जा सकता है जिनकी उपयोगिता भोज्य पदार्थ, औषधियों और सौंदर्य प्रसाधन आदि बनाने में होता है। जैव संसाधनों की ये परिकल्पना जैव-विविधता के विनाश के लिए भी उत्तरदायी है। साथ ही यह संसाधनों के विभाजन और बंटवारे को लेकर उत्पन्न नए विवादों का भी जनक है। खाद्य फसलें, पशु, वन संसाधन, मत्स्य और दवा संसाधन आदि कुछ ऐसे प्रमुख आर्थिक महत्व के उत्पाद है, जो मानव को जैव-विविधता के फलस्वरूप उपलब्ध होते हैं।

(2) पारिस्थितिक महत्व :- जीव व प्रजातियां ऊर्जा ग्रहण कर उसका संग्रहण करती है, कार्बनिक पदार्थ उत्पन्न एंव विघटित करती हैंऔर परितंत्र में जल व पोषक तत्वों के चक्र को बनाए रखने में सहायक होती हैं। ये वायुमंडलीय गैस को स्थिर करती हैं, और जलवायु को नियंत्रित करने में सहायक होती हैं। ये पारितंत्रीय क्रियाएं मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं। पारितंत्र में जितनी अधिक विविधता होगी प्रजातियों के प्रतिकल स्थितियों में भी रहने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। जिस पारितंत्र मे जितनी अधिक प्रजातियां होगी, वह पारितंत्र उतना ही अधिक स्थायी होगा।

प्रश्न 5. जैव-विविधता के हास को रोकने के उपायों का वर्णन करें ?

उत्तर :

(1) संकटापन्न प्रजातियों के संरक्षण के लिए प्रयास किए जाने चाहिए।

(2) प्रजातियों को लुप्त होने से बचाया जाए।

(3) वनरोपण द्वारा पौधों की सुरक्षा करनी चाहिए। प्रदूषण पर नियंत्रण, कीटनाशकों के प्रयोग पर नियंत्रण किया जाना चाहिए।

(4) वन्य जीवों के आवास को चिन्हित करके उन्हें सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए।

(5) वन्य जीवों एवं पौधों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर रोक लगानी चाहिए।

प्रश्न 6. महाविविधता केन्द्र किसे कहते हैं ? वर्णन करें ?

उत्तर : ये उष्ण कटिबन्धीय क्षेत्र जहां संसार की सर्वाधिक प्रजातीय विविधता पाई जाती है उन्हें महा-विविधता केन्द्र कहा जाता है। इन देशों की संख्या 12 है और इनके नाम है : मैक्सिको, कोलंबिया, इक्वेडोर, पेरू, ब्राजील, डेमोक्रेटिक स्पिब्लिक ऑफ कांगो, मेडागास्कर, चीन, भारत, मलेशिया, इंडोनशिया और आस्ट्रेलिया । इन देशों में समृद्ध महा-विविधता के केन्द्र स्थित हैं।

प्रश्न 7.भारत सरकार ने विभिन्न प्रकार की प्रजातियों को बचाने संरक्षित करने तथा उनके विस्तार के लिए कौन से उपाय किए हैं ?

उत्तर : भारत सरकार ने प्राकृतिक सीमाओं के भीतर विभिन्न प्रकार की प्रजातियों को बचाने, संरक्षित करने तथा उनके विस्तार के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:

(1) वन्य जीवन सुरक्षा अधिनियम 1972 पारित किया है। जिसके अंतर्गत नेशनल पार्क, पशुविहार स्थापित किए हैं।

(2) जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रों (BiosphereReserves) की घोषणा की गई है जहाँ वन्य जीव अपने प्राकृतिक आवास में निर्भय होकर रह सकते हैं। तथा प्रजाति का विकास कर सकते हैं।

https://www.evidyarthi.in/